तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/22	[illegible] उभय पक्ष के निवेदन पर [illegible] पर सुना गया। पत्रावली अभिलेख [illegible] प्र०-पत्र के वर्णित तथ्यों का अवलोकन करते हुए वाद पत्रावली प्रार्थी पर गठन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण के पिता कुड़ा राम का इन्तकाल होने के कारण न्यायालय के द्वारा आदेश हाजरी आदेश पत्रावली में दिनांक 20-7-2017 को खारिज कर दिया। इसके बाद कुड़ा राम के वारिसान को इसका खारिज की जानकारी दिनांक की न कर लेने पर उन्होंने प्रार्थीगण अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं ने प्र०-पत्र स्वीकार किया जाकर धारा क्र 43/163 न्यायालय कुड़ा बनाम जगदीश आदि के पारित आदेश दिनांक 20/7/17 को अपास्त करवाया जाकर वाद को पुनः दर्ज करने का निर्देश किया गया। मातहत अपील को देखी गई। प्रार्थी (वादी) ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विनिर्णयों के मद्दे नजर रखते हुए एक न्यायहित में प्रार्थी (वादी) को एक अंतिम अवसर देने के उद्देश्य से न्यायालय की ग्राम के वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्याय संगत समझते हुए। प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्र०-पत्र आपसदारी आधार रूप में स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 20/7/17 को अपास्त करते हुए वाद वादी पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर हो। वादी प्रतिवादीगण के पत्रीकृत नोटिस भेज कर तलबी पेश करें। प्र०-पत्र फोल्ड शुमार होकर दर्ज नम्बर के क्रम में एक वाद तकमीली शुदा पत्रावली के साथ लगा दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली एवं रिकार्ड के तलबी होकर दिनांक 22/5/22 को पेश हो।